

(Online No. 2022/99)

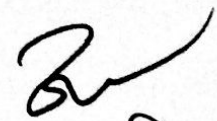
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

श्री सत्यनारायण महाजन बनाम श्री मदन लाल छीपा वगै.

धारा 111-128 एल0आर0ए

मुकदमा 69 / 2022

10.02.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर- 69/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री सत्यनारायण पिता गोवर्धन लाल महाजन जाति पलोड निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.। -प्रार्थी

बनाम

1. श्री मदन लाल पिता धनराज छीपा निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
2. श्री निर्मल कुमार पिता परसराम पलोड निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
3. श्री अल्लादीन पिता सरदार खांजी मुसलमान निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
4. श्री पारसमल संचेती निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
5. श्री उम्मेद पिता मांगी लाल सिंघवी निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा राज.।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज.। -विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956



निर्णय

दिनांक 10.02.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर में स्थित आराजी नम्बर 5518 रकबा 0.2782 हैक्टर आराजी नम्बर 5523 रकबा 0.3288 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.6070 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2073 ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर में स्थित आराजी नम्बर 5518 रकबा 0.2782 हैक्टर आराजी नम्बर 5523 रकबा 0.3288 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.6070 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएवं


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर में स्थित आराजी नम्बर 5518 रकबा 0.2782 हैक्टर आराजी नम्बर 5523 रकबा 0.3288 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 0.6070 हैक्टर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 150/- रुपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक पुर 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु

लिखा जावे।



आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रभा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा